FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ....सहायक कलक्टर (SDO) बायतु........ मुकाम ....

........चुनाराम........ बनाम ....पपूराम वगैरह........

किस्म मुकदमा ....धारा 111,128 RLR Act.... नं. ....232.... सन् ....2019....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/7/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ....खेताराम जाखड़.... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ....111,128.... राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ....30/7/19.... को पेश हो।	
30/07/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या-1 से 7 और 4 ने वकील श्री धर्मराज सारण द्वारा अण्डर टेकिंग ली गई। शेष विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी जाब्ता प्रोटोकॉल दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 04/09/19 को पेश हो।	Undertaking by R-1 9 4 30/7/19
04/09/19	पत्रावली आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 05/11/19 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:59:28 IST
Reason: SelfAttested

05/11/19

पत्रावली आज ... 10/02/2020 को ... पत्रावली 02

10/2/2020

प्रार्थी व विप्रार्थी सं. 19 के वकील उपस्थित। शेष विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई। अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई। विप्रार्थीगण सं. 1 से 18 व 20 से 24 की ओर से न स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा विप्रार्थीगण सं. 1 से 18 व 20 से 24 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विप्रार्थी सं. 19 के अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा व जवाब पेश नहीं किया गया। पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये गये अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 24/2/2020 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

24/2/2020

प्रार्थी व विप्रार्थी सं. 19 के अधिवक्ता उप०। विप्रार्थी सं. 19 के अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा व जवाब पेश नहीं किया गया, पूर्व में अंतिम अवसर दिया गया था। पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी विप्रार्थी सं. 19 के अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा व जवाब पेश नहीं किया गया। अतः विप्रार्थी सं. 19 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः पत्रावली वास्ते बहस दिनांक ... को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vya
Date: 2020.11.24 17:59:28 IS
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/3/2020	प्रार्थीगण वकील उपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि सेढ़ा सेढ़ आई हुई है। खेतों के सेढ़ों पर पुरानी माढ़ एवं कणो बने हुए हैं तथा आंधियों की वजह से कणो बिखर जाते हैं जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण को खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। वर्षात के दिनों में वर्षात होने पर विप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि में खेती कर लेते हैं जिससे पक्षकारों के बीच तनाजा बना रहता है। इस कारण प्रार्थी का नपबंदी आवेदन स्वीकार कर नपबंदी आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी का नपबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर एवं सम्बन्धित भू.अ. निरीक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खेतों की पक्की नपबंदी मौके पर कमीशनर फीस 500/- जमा करवाकर करें। पालना रिपोर्ट पेश होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल करार हो दर्ज नम्बरान कम हो दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:59:28 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 / 194 दिनांक:- 3/3/2020

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. चूनाराम पुत्र गिरधारीराम जाति जाट निवासी बागड़वो की ढाणी तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. पपूराम पुत्र आदूराम जाति जाट निवासी बागड़वो की ढाणी तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 232 / 2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा बागड़वों की ढाणी पटवार हल्का बायतु चिमनजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 463 / 98, 459 / 98, 465 / 130 रकबा क्रमश 38.00, 34.15, 28.09 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें। एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू0,रा0,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमिश्नर स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500/– जमा करा कर करें। एवं पालना रिर्पाट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 / 195–99 दिनांक:– 3/3/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी बायतु चिमनजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री चूनाराम
4. विप्रार्थीगण पपूराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु

3.3.2020
उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:59:28 IST
Reason: SelfAttested